वारदात. मुफस्सिल थाने के बांसोपाली कोठी गांव की घटना

बंद मकान का ताला तोड़कर 25 लाख की संपत्ति की चोरी

प्रतिनिधि, सीवान

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांसोपाली कोठी गांव में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लगभग 25 लाख रुपये की संपत्ति की चोरी कर ली. मामले में मकान मालिक अमरजीत कुमार सिंह ने पुलिस को दर्ज करायी है. जानकारी के अनुसार अमरजीत कुमार सिंह अपने दो बेटों के साथ परिवार सहित दिल्ली में रहकर जीविकोपार्जन करते हैं. गांव स्थित उनका मकान बंद था. बुधवार की शाम उनके चाचा ने सूचना दी कि मकान का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है. इसके बाद घर के अंदर जाकर देखने पर सभी सामान बिखरा पड़ा मिला. सूचना मिलने पर गुरुवार को अमरजीत कुमार सिंह गांव पहुंचे. जांच के दौरान घर में रखे 60 हजार रुपये नकद, करीब 20 लाख रुपये मूल्य के आभूषण, दो लाख रुपये के चांदी के सिक्के, भाई के तिलक समारोह का सामान तथा एक स्कूटी गायब मिली. पीड़ित के अनुसार चोर घर में रखे कीमती सामान समेट ले गए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा चोरी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.

पुण्यतिथि पर याद किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता

महाराजगंज. वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम सिंह की सातवीं पुण्यतिथि शुक्रवार को मनाई गई. इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन सत्य, न्याय, सेवा और सदाचार का प्रेरणादायी उदाहरण था. उन्होंने निर्भीक होकर न्याय की रक्षा किया. साथ ही समाज में ईमानदारी, सद्भाव और मानवता की मिसाल कायम किया.अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा, महासचिव अधिवक्ता पी पी रंजन द्विवेदी, अधिवक्ता दिनेश प्रसाद सिंह, भाजपा नेता प्रदीप कुमार रोज, चंदन दुबे, डॉ त्रिपुरारी शरण, अजय कुमार, संतोष कुमार, प्रवीण मिश्रा, अनिकेत कुमार उर्फ बड़ा बाबू सहित सैकड़ो लोगों ने उनके चित्र पर फूल चढ़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया.

सीएम सम्राट चौधरी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, रहेगा बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा

पचरुखी. प्रखंड के पपौरा पंचायत में 16 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित आगमन को लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है. कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और वीवीआईपी मार्गों पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है. जिला पुलिस, विशेष शाखा और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती कर इन गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. सभा स्थल में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच मेटल डिटेक्टर एवं हैंड-हेल्ड स्कैनर से की जाएगी.प्रवेश व्यवस्था पास आधारित रहने की संभावना है. सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखेंगी. कार्यक्रम स्थल, पार्किंग क्षेत्र, हेलीपैड और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी. भीड़ और यातायात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा तथा अनधिकृत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा.यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वीवीआईपी रूट पर वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए जाएंगे. लगभग 20 हजार लोगों के बैठने और दो हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है. पार्किंग स्थल से सभा स्थल तक नियंत्रित आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा. भीड़ नियंत्रण के लिए महिला एवं पुरुषों के अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार बनाए जाएंगे. दंडाधिकारियों, पुलिसकर्मियों एवं स्वयंसेवकों की तैनाती रहेगी. वहीं आपदा प्रबंधन के तहत एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, प्राथमिक उपचार केंद्र और अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे. हेलीपैड क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते की जांच तथा संयुक्त कंट्रोल रूम की स्थापना भी प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है.

आरपीएफ ने लौटायी यात्री की छूटी वाल्टियां

सीवान. रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सीवान ने 'ऑपरेशन अमानत' के तहत एक यात्री का ट्रेन में छूटा सामान सुरक्षित बरामद कर उसे वापस सौंपा. आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार 11 जून की शाम लगभग 6 बजे डीएससी आर वाराणसी से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन संख्या 15904 के एस-1 कोच की बर्थ संख्या 34, 35 एवं 42 पर यात्रा कर रहे एक यात्री की प्लास्टिक की वाल्टियां ट्रेन में छूट गई हैं. सूचना मिलते ही प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नीरज कुमार पांडेय ने उक्त वाल्टियों को कोच से बरामद कर सुरक्षित रूप से आरपीएफ पोस्ट सीवान में जमा कराया.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, पटेल चौक- सीवान-841226

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

...हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन ...आस्तियों के बिक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्रय सूचना।

...मर्सर्स/...एवं निम्नेत रूप से जाने, को) और जमानतदार (रो) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी /प्रभारित है, जिसका भौतिक ...बैंक ऑफ इंडिया, सीवान शाखा, सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे खाते/ऋणदाताओं एवं जमानतकारों से सुरक्षित ऋणदाताओं को बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक ...2026 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) प्रदर्शित की गई है।

...रिया	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 11.08.2026 तक ब्याज एवं वसूली योग्य राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
...तन	मेसर्स चौधरी वस्त्रालय प्रो- श्री गोरखनाथ चौधरी पिता स्वर्गीय गजू चौधरी गोपाल - श्रीमती जलेबिया देवी, पति स्वर्गीय गजू चौधरी, दोनों ग्राम- कुसौटा, थाना- मोतीहारी, जिला- सीवान-841245 के निवासी है।	रु.32,74,821 (रूपये बत्तीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) + उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	रु. 41,01,833/- (रूपये इकतालीस लाख एक हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) + उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहाँ स्थित है: ग्राम-कुसौटा में स्थित है। संपत्ति का सांकेतिक बंधक - श्रीमती जलेबिया देवी के नाम पर भूमि 1. तौजी संख्या 1968, थाना संख्या-13, खाता संख्या 17, प्लॉट संख्या 203, क्षेत्रफल- 3 कट्ठा 15 धुर 10 धुरकी संपत्ति की चौहद्दी:उत्तर: रास्ता, दक्षिण: साहिब मियाँ,पूर्व: हवलदार चौधरी,पश्चिम: सरस्वती देवी 2. तौजी संख्या 1960 (1968), थाना संख्या-13, खाता संख्या 77, प्लॉट संख्या 167, क्षेत्रफल- 1 कट्ठा 12 धुर 5 धुरकी संपत्ति की चौहद्दी:उत्तर: अमरनाथ तिवारी, दक्षिण: सड़क, पूर्व: बलिराम मिश्रा, पश्चिम: जानकी भगत 3. तौजी संख्या 1968, थाना संख्या-13, खाता संख्या 77, प्लॉट संख्या 167, क्षेत्रफल- 5 धुर 10 धुरकी संपत्ति की चौहद्दी:उत्तर: नागेश्वर चौधरी, दक्षिण: मुस्तरी, पूर्व: बलिराम मिश्रा, पश्चिम: जानकी भगत	रु. 10,51,500/- रु. 1,05,150/- रु. 10,000.00

...को हुआ था-सूचना

निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोली राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी तिथि एवं समय
...26 को सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक	दिनांक 28.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक	दिनांक 29.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

...बिक्रय/ उपलब्धकर्ता को उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी आयोजित करने के संबंध में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के तहत दी गई सूचना भी माना जा सकता है। बिक्री ...शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट www.bankcet.com पर जाएं।

SARFAESI अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

...को सूचना दिया जाता है कि उक्त उल्लिखित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी एवं बिक्री से प्राप्त राशि के विनियोजन के बाद, यदि कोई शेष राशि बचती है तो वह ब्याज एवं लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी।

...2026

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

अंचल कार्यालय -SAM चम्पारण, उज्ज्वल कॉम्प्लेक्स, चंदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए निजी सूचना (ई-नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना, एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को सरक्षित/ सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक (भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदार(रो) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर "जहां भी है", "जैसा भी है", "जो कुछ भी है" और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा, सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई-नीलामी की तिथि : 30.06.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 30.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) का बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि का सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/ रचनात्मक	ए) सुरक्षित मूल्य- बी) ईएमडी- सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	पीएनबी-सिवान स्टेशन रोड मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टोर 9912008700000318, 9912008L00000101 मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टोर, ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरुखी, जिला-सिवान-841226. ओम प्रकाश गुप्ता, पिता-श्री चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरुखी, जिला-सिवान-841226. श्रीमती तारा देवी पति-ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरुखी, जिला-सिवान, 841226.	भूमि एवं भवन जिसका रोल डीड नं0-3762, दिनांक 10.04.2015, खाता नं0-232, खेसरा नं0-2729, थाना नं0-341, तौजी नं0-998, क्षेत्रफल-4.65 डिसमिल या 1 कट्ठा 5 धुर, मौजा-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरुखी, जिला-सिवान. चौहद्दी : उत्तर-नम्बर हाजा बेदार सनमतिया देवी, दक्षिण-नम्बर हाजा निज पट्टीदार, पूरब-विशेसर साह, पश्चिम-पीसीसी रास्ता स्वामी : तारा देवी पति-ओम प्रकाश गुप्ता	ए) 03.08.2022 बी) रू0 521025.46/- 03.08.2022 को+ आगे ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान तक सी) 10.11.2022 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 2066000/- बी) रू0 206600/- सी) रू0 20000/-	30.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजेतक	हमें ज्ञात नहीं.

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां "जहां भी है", "जैसा भी है", "जो कुछ भी है" और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही है.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30.06.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 06.06.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Scanned with OKEN Scanner